संख्या:160/2026/1034/35-4-2025/35-4002(003)/73/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 19 जून, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:38/2026/515/35-4-2026/35-4002(003)/73/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद हरदोई में 103 कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-41 पर अंकित कार्य की रू. 89.58 लाख की लागत पर प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 43.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- जिलाधिकारी, हरदोई के पत्रांक:445/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 22.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या:38/2026/515/35-4-2026/35-4002(003)/73/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 के क्रमांक-41 पर अंकित कार्य की निम्नांकित विवरण के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(लाख रू. में)

शासनादेश दिनांक 29.03.2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 29.03.2026 के अनुसार अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित विवरण	
			लम्बाई (मी0)	लागत
41	गौशाला से ग्राम देवीपुरवा मजरा थोकखाला तक इण्टरलांकिग कार्य।	89.58	1420	88.60

3- उपर्युक्त सन्दभित शासनादेश संख्या:38/2026/515/35-4-2026/35-4002(003)/73/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 के द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-41 पर अंकित कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में समायोजित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:160/2026/1034(1)/35-4-2025/35-4002(003)/73/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।